

से उत्पादन होने लगेगा तब करेंसी नोटों के कागज की कोई कमी नहीं रहेगी।

सोने का तस्कर व्यापार

3629. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स०च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा प्राजाव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा सोने को चोरी छिपे लाने ले जाने और स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के अन्तर्गत प्रदोषित सोने को जमा करने के कितने मामलों का पता लगाया गया और इसके परिणामस्वरूप कितने मूल्य का सोना जन्त किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शशीन्द्र चौबरी) :
मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है :

(1) चोरी छिपे लाया गया सोना :—

- (क) पकड़े गये मामलों की संख्या . 570
(ख) जन्त किये गये सोने का मूल्य 63,68,047 रुपये

(2) छिपा कर रखा गया सोना जो घोषित नहीं किया गया :—

- (क) पकड़े गये मामलों की संख्या . 248
(ख) जन्त किये गये सोने का मूल्य 3,32,972 रुपये

Per Capita Income

3630. Shri Madhu Limaye:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishan Pattnayak:

Will the Minister of Planning and Social Welfare be pleased to state:

(a) the reasons for the delay by the Statistical Organization in collect-

ing the basic and controlling figures in regard to per capita income, State and District-wise;

(b) when the orders were issued for the collection of this data; and

(c) when the data is likely to be collected and digested by the statistical organization?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta: (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-6040/66].

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिये अनिवार्य बीमा योजना

3631. श्री मधु लिमये : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिये अनिवार्य बीमा योजना बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(ग) उस योजना के अन्तर्गत सरकार को कितना व्यय करना पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शशीन्द्र चौबरी) :
(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे

3632. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के आय-कर अधिकारियों ने 7 दिसम्बर, 1965 को वाराणसी के निकट दिलदारनगर की एक फर्म तथा उसके चार भागीदारों के निवास स्थानों पर छापे मार कर चार लाख रुपये के मूल्य का गन्ना (खाद्यान्न) तथा 340